पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का सिविल विविध न्यायनिर्णयन सं. 979

==========

1. आशुतोष कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय पुरुषोत्तम कुमार सिंह, निवासी - गांव - कल्याणपुर बंबैया, थाना- बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।
2. अमितोश कुमार सिंह, पुत्र- स्वर्गीय पुरुषोत्तम कुमार सिंह, निवासी - गांव - कल्याणपुर बंबैया, थाना- बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1.1 कौशल्या देवी, पत्नी-स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद साह, निवासी- गाँव कल्याणपुर बम्बैया, थाना- बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।

1.2 पंकज कुमार साह, पुत्र-स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद साह, निवासी- गांव-कल्याणपुर बंबैया, थाना-बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।

1.3 जीवच देवी, पुत्री-स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद साह की, निवासी- गांव-कल्याणपुर बंबैया, थाना-बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।

1.4 संध्या देवी, पुत्री-स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद साह, निवासी- गांव- कल्याणपुर बंबैया, थाना-बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।

1.5 प्रमीला देवी, पुत्री-स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद साह, निवासी- गाँव - कल्याणपुर बंबैया, थाना-बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।

1.6 पुनिता देवी, पुत्री-स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद साह, निवासी- गाँव कल्याणपुर बंबैया, थाना-बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर।

3. रंजीत कुमार, पुत्र-स्वर्गीय रमाकांत साह

4. राजेश

5. राजा बाबू

6. गौतम, तीनों स्व. रमाकांत साह के पुत्र, सभी सुशीला देवी के संरक्षण में, निवासी - गांव कल्याणपुर बंबैया, थाना-बिभूतिपुर, जिला-समस्तीपुर

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री. अरुण कुमार, अधिवक्ता
श्री रघुबीर चौधरी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री.

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10*

संदर्भित मामले:

- *अजीत कुमार हाजरा एवं अन्य बनाम रथीन्द्र नाथ रॉय एआईआर 1980 कैल 117 में रिपोर्ट किया गया*
- *सुरेश कुमार बंसल बनाम कृष्ण बंसल एवं अन्य सुप्रीम कोर्ट सिविल अपील संख्या 8271/2009 में पारित*
- *राजनीति यादव बनाम रामबरन यादव एवं अन्य पटना हाईकोर्ट सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 104/2016 में पारित*
- *सुरेश सिंह एवं अन्य बनाम डॉ. राजा राम सिंह एवं अन्य 1992(2) पीएलजेआर 129 में रिपोर्ट किया गया*
- *भूदेव चंद्र रॉय बनाम भिक्षाकर पटनायक एवं अन्य एआईआर 1942 पटना, 120 में रिपोर्ट किया गया*
- *रामचरण सिंह बनाम एमएसटी. धरोहर कुअर ने एआईआर 1984 पटना, 175 पर रिपोर्ट की*

याचिका - *उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसमें जिला न्यायालय ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश 1 नियम 10 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया था।*

अपीलकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष शीर्षक अपील दायर की थी। इस शीर्षक अपील के लंबित रहने के दौरान, शीर्षक वाद के प्रतिवादी ने याचिकाकर्ताओं

के पक्ष में एक पंजीकृत वसीयत निष्पादित की, जो कि वादित भूमि के उसी हिस्से से संबंधित थी जो अपील का विषय था। प्रतिवादी की निःसंतान मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ताओं ने पंजीकृत वसीयत के आधार पर भूमि का शांतिपूर्ण कब्ज़ा प्राप्त कर लिया।

याचिकाकर्ताओं ने जब अपील की लंबित स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की, तो उन्होंने संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश 1 नियम 10 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें अनुरोध किया गया कि याचिकाकर्ताओं को शीर्षक अपील में पक्षकार बनाया जाए, क्योंकि वे आवश्यक पक्षकार हैं और अपील के परिणाम से उनके हित प्रभावित होंगे। इस याचिका को खारिज कर दिया गया।

निर्णय - *मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति, उसकी मृत्यु के तुरंत बाद वसीयत निष्पादक को हस्तांतरित हो जाती है, जिससे उसके कुछ अधिकार स्थापित हो जाते हैं। (पैराग्राफ 7)*

एक वसीयतधारी या निष्पादक बिना प्रोबेट प्राप्त किए हुए भी वसीयत के आधार पर दावा कर सकता है, लेकिन उसकी वसीयत की वैधता तब तक न्यायालय में स्थापित नहीं हो सकती, जब तक कि प्रोबेट या प्रशासक पत्र प्राप्त न हो जाए। अर्थात, कोई भी निर्णय या बचाव, वसीयत के आधार पर तभी प्रभावी होगा जब प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त हो जाए। यदि वसीयतधारी या निष्पादक मुकदमा दायर कर सकता है या रक्षा पक्ष प्रस्तुत कर सकता है, तो उसे मृतक वसीयतकर्ता के स्थान पर प्रतिस्थापित करने या पक्षकार के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है, भले ही वसीयत प्रोबेटेड न हो। (पैराग्राफ 7)

अपीलीय न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र की त्रुटि की, जब उसने याचिकाकर्ताओं को पक्षकार बनाने से केवल इस आधार पर इनकार कर दिया कि वसीयत प्रोबेटेड नहीं थी। (पैराग्राफ 8)

याचिका स्वीकार की जाती है। *(पैराग्राफ 9)*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

मौखिक निर्णय

तारीख : 23-01-2025

याचिकाकर्ताओं के लिए वर्तमान विद्वान वकील उपस्थित हालांकि, प्रतिवादियों की ओर से सूचना की सेवा के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना और मैं वर्तमान याचिका को स्वीकार करने के चरण में ही निपटाने का इरादा रखता हूं।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से तत्काल याचिका विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-II, समस्तीपुर द्वारा 2009 की हकियत वाद अपील संख्या 26 में पारित आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसमें विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 (संक्षेप में "संहिता") के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी हैं और उन्होंने मुकदमे की संपत्ति पर अपने स्वामित्व की घोषणा के लिए 1996 का हकियत वाद संख्या 59 दायर किया जिसमें तौज़ी संख्या 3968, खाता संख्या 334 (पुराना)/1179 (नया), खेसरा संख्या 5497 (पुराना)/8748 (नया), जो कि 12 कट्ठा 2 धुर 15 धुरकी क्षेत्रफल वाली भूमि का भाग है, और साथ ही खाता संख्या 1, खेसरा संख्या 5379 (पुराना)/8803 (नया), जो कि 9 कट्ठा 3 धुर क्षेत्रफल वाली भूमि का भाग है, दोनों ही गांव कल्याणपुर बंबैया, थाना - विभूतिपुर, जिला समस्तीपुर में स्थित हैं। पक्षकारों को सुनने के बाद, 1996 के हकियत वाद सं. 59 को दिनांकित 29.11.2008 को पारित आदेश द्वारा विद्वान सिविल न्यायाधीश,

वरिष्ठ प्रभाग -II, रोसड़ा, समस्तीपुर द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ खारिज कर दिया गया था| तदनुसार, 06.12.2008 पर एक डिक्री तैयार की गई थी। इसके बाद, अपीलकर्ताओं/प्रत्यर्थियों ने विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, समस्तीपुर के समक्ष 2009 की हकियत अपील संख्या 26 वाली अपील को दाखिल की। उक्त स्वामित्व अपील के लंबित रहने के दौरान, स्वामित्व मुकदमे में प्रतिवादी, राम नंदन पोद्दार ने वाद भूमि के उपरोक्त हिस्से के संबंध में 18.08.2009 पर याचिकाकर्ताओं के पक्ष में वसीयत का एक पंजीकृत विलेख निष्पादित किया और केवल वह हिस्सा अपील का विषय था। राम नंदन पोद्दार की 05.07.2010 को निःसंतान मृत्यु हो गई और उसके बाद पंजीकृत वसीयत के आधार पर याचिकाकर्ताओं ने विचाराधीन भूमि पर शांतिपूर्ण कब्जा कर लिया। याचिकाकर्ताओं ने 21.09.2016 पर अपील के लंबित होने के बारे में जानने के बाद, प्रासंगिक दस्तावेज प्राप्त किए और संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश 1 नियम 10 के तहत दिनांकित 23.09.2016 पर एक याचिका दायर की जिसमें अनुरोध किया गया कि याचिकाकर्ताओं को स्वामित्व अपील में पक्षकारों के रूप में शामिल किया जा सकता है क्योंकि वे आवश्यक पक्ष हैं और उक्त अपील के परिणाम से उनका हित प्रभावित होगा। इसके बाद, अपीलकर्ताओं/प्रत्यर्थियों ने इस आधार पर दिनांकित 23.09.2016 की याचिका का विरोध करते हुए 22.10.2016 पर एक प्रत्युत्तर दायर किया कि स्वर्गीय राम नंदन पोद्दार अपील का विरोध नहीं कर रहे हैं और 18.08.2009 की वसीयत की प्रवर्तन नहीं की गई है और याचिकाकर्ताओं को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित होने का कोई अधिकार नहीं है। विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-II, समस्तीपुर ने पक्षों को सुनने के बाद, दिनांकित 04.03.2017 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया और उक्त आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी जा रही है।

5. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि विवादित आदेश

अवैध, अनुचित और मनमाना है। प्रथम अपीलीय न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि याचिकाकर्ताओं को वाद संपत्ति के हिस्से में हित मिला है जो स्वर्गीय राम नंदन पोद्दार द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत के माध्यम से अपील का विषय भी है। विद्वत विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि याचिकाकर्ता बिना किसी बाधा के वाद संपत्ति के हिस्से के कब्जे में हैं। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि सम्मिलन की याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि याचिकाकर्ताओं ने वसीयत के आधार पर सम्मिलन की मांग की है जो एक अप्रमाणित वसीयत है और इस तरह के दस्तावेज़ का कोई कानूनी मूल्य नहीं है। ज्ञात निचली अदालत ने इस तथ्य को भी ध्यान में नहीं रखा कि याचिकाकर्ता अभी भी मुकदमे की संपत्ति के हिस्से के कब्जे में हैं। इन आधारों पर, विवादित आदेश मनमाना है और न्यायिक विचार के गैर-अनुप्रयोग को दर्शाता है। विद्वान वकील ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के ***अजीत कुमार हाजरा और अन्य बनाम रथीन्द्र नाथ रॉय ए. आई. आर. 1980 कलकत्ता 117*** में रिपोर्ट की गई निर्णय का उल्लेख किया, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि यह स्थापित कानून है कि निष्पादक प्रोबेट प्राप्त करने से पहले कोई कार्रवाई कर सकता है या मुकदमा चला सकता है, बशर्ते कि प्रोबेट प्राप्त करने से पहले ऐसी कार्रवाई में कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। विद्वान वकील ने आगे ***सुरेश कुमार बंसल बनाम कृष्ण बंसल और अन्य*** के मामले में उच्चतम न्यायालय के ***2009 के सिविल अपील संख्या 8271*** में पारित एक अन्य निर्णय का उल्लेख किया। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक अप्रमाणित वसीयत के आधार पर दावा करने वाले अपीलार्थी को मृतक वादी के प्राकृतिक उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों के साथ मुकदमे में शामिल किया जाना चाहिए, बशर्ते कि एक सक्षम अदालत द्वारा वसीयत को प्रोबेट किया जाए। विद्वान उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय के लिए सबसे अच्छा रास्ता

बेदखली की कार्यवाही में अपीलार्थी को शामिल करने की अनुमति देना है, जिससे उसे प्राकृतिक उत्तराधिकारियों और मृतक वादी के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ बेदखली के मुकदमे के साथ आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। यह भी तय किया कि यदि मुकदमा परिसर से किरायेदार को बेदखल करने के लिए डिक्री पारित की जानी है तो तो ऐसी बेदखली डिक्री उस वसीयत के प्रोबेट के अनुमोदन के अधीन होगी जो मृतक वादी द्वारा निष्पादित करने का आरोप लगाया गया है। इस प्रकार, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि अप्रमाणित वसीयत के आधार पर स्वामित्व अपील में प्रतिस्थापन की अनुमति दी जा सकती है।

6. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से किए गए निवेदन पर विचारपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का भी अध्ययन किया है।

7. वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा यह है कि क्या याचिकाकर्ता अपने पक्ष में निष्पादित एक अप्रमाणित वसीयत के आधार पर स्वामित्व अपील में सम्मिलन का दावा कर सकते हैं। इस न्यायालय ने ***राजनीति यादव बनाम रामबरन यादव और अन्य के 2016 सिविल विविध क्षेत्राधिकार संख्या 104*** मामले में, इसके माननीय खंड पीठों के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, ***सुरेश सिंह और अन्य बनाम डॉ. राजा राम सिंह और अन्य के मामले, जो 1992 (2) पीएलजेआर 129 में रिपोर्ट किया गया और भुदेब चंद्र रॉय बनाम भिक्षाकर पटनायक और अन्य के मामले, जो ए. आई. आर. 1942 पटना, 120*** में रिपोर्ट गया, में पहले इस मामले पर विचार किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि हस्तक्षेप करने वाले का दावा एक अप्रमाणित वसीयत पर आधारित है तो प्रतिस्थापन की अनुमति दी जा सकती है। इस न्यायालय के दो निर्णयों से जो प्रस्ताव सामने आया है, वह यह है कि मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति वसीयतकर्ता की मृत्यु के तुरंत बाद उसे कुछ अधिकार प्रदान करते हुए निष्पादक में निहित हो जाती है। ***सुरेश सिंह (उपर्युक्त) में रामचरण सिंह बनाम श्रीमती धरौहर कुवर*** मामले का उल्लेख करते

हुए, जो ***ए.आई.आर 1984 पटना, 175*** में रिपोर्ट किया गया था, यह देखा गया है कि एक उत्तराधिकारी अपनी उपाधि और अधिकार अपने वसीयतकर्ता की वसीयत से प्राप्त करता है न कि प्रोबेट के अनुमोदन से। वसीयतकर्ता वसीयत का प्राणी है और निष्पादक की तरह, वसीयतकर्ता अस्तित्व में आता है जैसे ही वसीयत एक प्रभावी दस्तावेज़ बन जाता है, यानी जब वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाती है। इन आधारों पर माननीय खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एक अप्रमाणित वसीयत का उत्तराधिकारी या निष्पादक उसी के आधार पर दावा कर सकता है या ऐसी वसीयत के आधार पर किसी मुकदमे में बचाव कर सकता है, लेकिन उसका दावा तब तक कानून के न्यायालय में स्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक कि एक प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्रदान नहीं किया जाता है जिसका अर्थ है कि न तो कोई डिक्री वादी के पक्ष में पारित की जा सकती है और न ही बचाव को ऐसे मुकदमे में स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि उसके निपटारे से पहले प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त नहीं किए जाते हैं। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि ऐसा उत्तराधिकारी या निष्पादक मुकदमा दायर कर सकता है या बचाव के माध्यम से दावा कर सकता है, तो उसे वसीयतकर्ता के स्थान पर प्रतिस्थापित करने की अनुमति दी जा सकती है या एक पक्ष के रूप में जोड़ा जा सकता है यदि वह एक अप्रमाणित वसीयत के आधार पर दावा करता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***सुरेश कुमार बंसल*** (उपर्युक्त) के मामले में भी ऐसा ही विचार रखा जिसमें उसने यह अभिनिर्धारित किया कि वसीयत के तहत एक वसीयतकर्ता, जो मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखता है, मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति के साथ एक मध्यस्थ होने के नाते, एक कानूनी प्रतिनिधि होगा और यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि बेदखली की कार्यवाही में, जब वसीयत के तहत एक वसीयतकर्ता मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति के हित का प्रतिनिधित्व करने का इरादा रखता है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (11) के

अर्थ के भीतर एक कानूनी प्रतिनिधि होगा।

8. इसलिए, ऊपर की गई चर्चा के आलोक में, मेरी राय है कि विद्वत अपीलीय न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र में त्रुटि की है जब उसने इस आधार पर याचिकाकर्ताओं को शामिल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि यह एक अप्रमाणित वसीयत पर आधारित था। इसलिए, याचिकाकर्ताओं द्वारा सम्मिलन के लिए दायर दिनांकित 23.09.2016 आवेदन की अनुमति दी जाती है और दिनांकित 04.03.2017 के विवादित आदेश को निरस्त कर दिया जाता है, लेकिन याचिकाकर्ताओं का दावा केवल तभी स्थापित किया जाएगा जब उनके पक्ष में वसीयत का प्रोबेट या प्रशासन पत्र दिया जाएगा।

9. नतीजतन, वर्तमान याचिका को अनुमति दी जाती है।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

अनुराधा/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।